तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख
2/5/19	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में आयन्दा दिनांक 5/5/19 को पेश हो	
5/5/19	उक्त प्रकरण में पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 10/5/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर आबू-पर्वत	
10/5/19	उक्त प्रकरण में पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 31/7/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर आबू-पर्वत	
31/7/19	पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 1/8/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर आबू-पर्वत	
1/8/19	पत्रावली पेश हुई । आज वकील मण्डल द्वारा [illegible] करने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 1/8/19 को पेश हो	
1/8/19	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में आयन्दा दिनांक 22/8/19 को पेश हो	
22/8/19	जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12/9/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर आबू-पर्वत	
12/9/19	उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 से 3 के अधि० द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पेश, पत्रावली पर बहस सुनी प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु दिनांक 3/10/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर आबू-पर्वत	
3/10/19	पत्रावली पेश हुई। दिनांक 30/9/19 को वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरों को शामिल मिसल किया गया। धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर सुनी बहस पर मनन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख
	- पत्रावली पर शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। - वादी ने O9 R13 CPC के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया। - प्रार्थना पत्र में यह तथ्य जाहिर किया कि इस न्यायालय द्वारा 12/10/2010 को पारित निर्णय की जानकारी वादी को दिनांक 13/9/2016 को हुई तथा जानकारी होने के बाद दिनांक 21/9/2016 को यह प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया कि प्रार्थना पत्र लिमिटेशन O9 R13 CPC का एक्ट की धारा 5 के अनुकूल है तथा स्वीकार किया जाए। - साथ ही दिनांक 30/9/19 को विभिन्न नजीरें यथा SB Civil second appeal NO. 40 of 1996 RRD (1998), Judgements today 2001 (5) S.C. 608, SB Civil writ petition NO. 5513 of 1997 State of Raj. V/s Sheo Chand & others, 2001 RBJ 133, Civil appeal NO. 7312-7313 2005 AIR SCW 109 न्यायालय राजस्व मंडल (राज.) निगरानी/T.A./1934/2008 /बीकानेर पेश किए।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख

- प्रतिवादी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि, मूल वाद बंटवारे का दावा था।
- तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सभी प्रयास करने पर भी वादी न्यायालय में नहीं आया, तथा अंतिम नोटिस जो अखबार में प्रकाशित हुआ, उस जगह हुआ, जहाँ वादी की संपत्ति विद्यमान है।
- तथा वादी, यदी 6 वर्ष पश्चात अपनी कृषि भूमि पर आता है तो वह वस्तुत: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सद्भावी काश्तकार न होने से स्वत: ही समस्त प्रकार के अधिकारों से वंचित हो जाता है।
- तथा निर्णय उपरांत जो देरी होती है, उसका प्रत्येक दिन का हिसाब वादी को देना होता है।
- तथा, छ: वर्ष बाद, वाद को पुर्नजीवित करने की मंशा, अपने आप में यह जाहिर करती है कि वादी ने "साफ शब्दों से न्यायालय" को नहीं पुकारा है, वरन, एक निर्णित व settled वाद को जीवित कर, प्रतिवादी को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख

अपने अधिकारों का उपयोग करने से वंचित कर रहा है। जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

- हमने सभी तथ्यों पर गौर किया।
- यह जाहिर तथ्य है कि, निर्णित वाद दिनांक 12/10/2010 व प्रार्थना पत्र दिनांक 21/9/16 के बीच लगभग 6 वर्ष का लंबा अंतराल है।
- वादी ने अपने द्वारा पेश नजीरों में भी जाहिर किया है कि न्यायालय को Libeeal view के साथ Limitation Act को पढना चाहिए तथा मामले की Merits को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- जहाँ तक Liberal view का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Lanka Venkateswaralu v/s State of Andhra Pradesh AIR 2011 SC 1199 4 SCC 363: JT (2) SC 540 :(2011) 2 Scale 703, में स्पष्ट किया है कि "However Concepts such as "Liberal Approach" "Justice oriented approach" "Substantial Justice" Can not be employed

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख
	to jetison the Substantial law of the limitation. - व धारा 5 Limitation Act स्पष्ट कहता है कि वादी को इस न्यायालय को संतुष्ट करना होगा, उसने आदिनांक न्यायालय को क्यों नहीं पुकारा? - चूंकि वादी अपने 6 वर्ष से देर से दायर प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय को संतुष्ट करने का एक भी दस्तावेज इत्यादी प्रस्तुत ना तो कर रहा है, बल्कि, यह कह कर कि वह यहाँ नहीं रहता, एक प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सीमाओं से बाहर जा रहा है, चूंकि एक काश्तकार का नैतिक दायित्व है कि वह अपनी भूमि की सार संभाल समय से करे। - अतः उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 Limitation Act खारिज किया जाता है। - पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आबू-पर्वत	

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत..मुकाम................................

....बनाम..

किस्म मुकद्दमा..मुकदमा नम्बर...........................सन्.............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश :	
3/10/19	प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र O-9-R-13 CPC परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आबू-पर्वत	